and 15th February, 1978. The Conference was arranged to discuss ways and means of availing of, in a greater degree, the growing capacity in the Civil Sector—both Public and Private—for the manufacture of components, parts, accessories and other items and inputs which are either not manufactured in the Public Sector Factories or whose production needs to be supplemented, so as to accelerate the pace of indigenisation and self-reliance in Defence.

(c) The manufacturers who are given contracts for production of components, parts and other inputs are provided with detailed specifications. Wherever possible, drawings are provided and samples are also made available for study. During the development stage, the technical Officers of the Department keep close liaison with the manufacturers, provide technical advice and guidance as may be required and assist in the testing of the prototypes so that the final product fully conforms to the specifications.

(d) and (e). The manufacture of armaments, ammunition and weapon systems is undertaken only in the Defence Departmental and Public Sector Factories. The question of private manufacturers being allowed to undertake their own research and development in this field does not arise. In respect of components, reply to part (c) will apply.

समाचार एजेंसियों को सहायता

2956. श्री राम सागर: क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंग्रेजी और हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में समाचार सेवा आरम्भ करने के लिए वर्तमान समाचार एजेंसियों को अनुदान अथवा अन्य सहायता देने के बारे में कोई मानदण्ड निर्धारित किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह मानदण्ड कब तक निर्धारित किया जायेगा और यदि कोई मानदण्ड निर्धारित किया जा चुका है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) और (ख). ऐसा कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है, परन्तु सरकार भारतीय भाषाओं की सेवाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता देने के बारे में विचार करने के लिए तैयार होगी।

Raising of standard of Films made by Films Division

2957. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) what steps Government propose to take to raise the standard of films made by the Films Division; and

(b) is there any proposal to make it an autonomous unit?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) By and large Films Division already maintains a high standard of film production. However, there is always scope for improvement and the Division's efforts in this direction are continuous.

(b) A proposal to set up a working group to study the feasibility of converting the Films Division into an autonomous organisation, is under examination.

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच किये जा रहे मामले

2958. श्री लक्ष्मी नारायण नायक : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 31 जनवरी, 1978 को प्रत्येक राज्य तथा संघ

राज्य क्षेत्र मे भ्रष्टाचार के कितने मामलो की जांच की जा रही थी ;

(ख) केन्द्रीय जाच ब्यूरो द्वारा 1975 से भ्रष्टाचार के जिन मामलो की जाच की जा रही थी उन मे से कितने मामलो की जाच पूरी हो गई है तथा 31 जनवरी, 1978 तक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ; और

(ग) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1975 से 31 जनवरी, 1978 तक जाच के लिये केन्द्रीय जाच ब्यूरो को भ्रष्टाचार के कितने मामले सौपे तथा उन मे से कितने मामलो मे जाच कार्य पूरा हो गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटील) : (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा 31 जनवरी, 1978 को राज्यो तथा संघ राज्य क्षेत्रो मे भ्रष्टाचार के 693 मामलो की जाच की जा रही थी। इन मामलो के राज्य तथा सघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे देने वाली एक सूची संलग्न है।

(ख) दिनाक 31-1-1978 तक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास 1-1-1975 को भ्रष्टाचार के उन मामलो मे से, जिनमे जाच-कार्य पूरा किया जाना था, 797 मामलो के सम्बन्ध मे जाच कार्य को अन्तिम रूप दे दिया गया और उन पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी।

(ग) उक्त अवधि के दौरान, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भ्रष्टाचार का कोई मामला नही सौंपा गया था।

विवरण

राज्य

क्र० सं०	राज्य का नाम	मामलो की संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	50
2.	असम	11
3.	बिहार	30
4	गुजरात	30
5	हरियाणा	8
6.	हिमाचल प्रदेश	4
7	जम्मू एव कश्मीर	15
8	केरल	33
9.	कर्नाटक	39
10	महाराष्ट्र	82
11	मध्य प्रदेश	13
12.	मेघालय	8
13	नागालैण्ड	1
14	उडीसा	30
15	पजाब	23
16	राजस्थान	37
17	सिक्किम	1
18.	तमिलनाडु	50
19	त्रिपुरा	1
20	उत्तर प्रदेश	34
21.	पश्चिम बगाल	84
	सघ राज्य क्षेत्र	
22.	दिल्ली	90
23	चण्डीगढ़	6
24	गोआ	5
25	मिजोरम	3
26	अण्डमान और निकोबार	1
27.	पांडिचेरी	1
28	अरुणाचल प्रदेश	3
	योग संख्या	693